उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1
संख्या– 110 / दस–1–2011–10(II) / 2001
देहरादूनः दिनांक 12 जनवरी, 2011

अधिसूचना संख्या–02 / दस–1–2011–10(11) / 2001 दिनांक 03 जनवरी,2011 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड वन विभाग मानचित्रकार सेवा नियमावली,2010 " के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
(2) सचिव,श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
(3) समस्त मडलायुक्त / जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
(5) समस्त प्रमुख वन संरक्षक / अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक / उप वन संरक्षक,उत्तराखण्ड देहरादून।
(6) सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड।
(7) सचिव,लोक सेवा आयोग,उत्तराखण्ड,हरिद्वार।
(8) निदेशक,एन.आई.सी.,सचिवालय परिसर,देहरादून।
(9) निदेशक,सूचना विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून।
(10) निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की–हरिद्वार को नियमावली के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियां वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एम0एच0खान)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1,
संख्या 02 /X–1–2011–10(11)/2001
देहरादूनः दिनांक 03 जनवरी, 2011

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड वन विभाग मानचित्रकार सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड वन विभाग मानचित्रकार सेवा नियमावली, 2010

भाग 1– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड वन विभाग मानचित्रकार सेवा नियमावली, 2010" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति।

2. उत्तराखण्ड वन विभाग मानचित्रकार सेवा एक अधीनस्थ राज्य सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं।

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से 'प्रधान मानचित्रकार' के मामले में मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड तथा 'मानचित्रकार' के मामले में वन संरक्षक अभिप्रेत है;

(ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–।। के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) 'संविधान से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(घ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ड) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(च) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड वन विभाग मानचित्रकार सेवा अभिप्रेत है;

(ज) 'संवर्ग' से किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा का कोई भाग अभिप्रेत है;

(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो;

(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए, जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किए जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

टिप्पणी: इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है।

(ट) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2 संवर्ग

सेवा का संवर्ग।

4. (1) सेवा में सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए। नियमावली के प्रारम्भ होने के समय सेवा के सवंर्ग में निर्धारित पदों की संख्या का विवरण **परिशिष्ट "क"** के अनुसार हैं;

परन्तु यह कि:

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग–3 भर्ती

भर्ती का स्रोत।

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी।

(एक) **प्रधान मानचित्रकार;**

मौलिक रूप से नियुक्त मानचित्रकारों में से, पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) **मानचित्रकारः**

सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण। 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग 4–अर्हताएं

राष्ट्रीयता। 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह किउपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी के लिए पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का है, तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद, उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, उसे परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षणिक अर्हताएं। 8. सेवा में सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था का मानचित्रकारकर्म का प्रमाण पत्र या सिविल अभियन्त्रण का 'डिप्लोमा' होना चाहिए।

अधिमानी अर्हताएं। 9. अन्य बातें समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) राष्ट्रीय सेवा योजना का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

आयु। 10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, भर्ती के लिए सेवा नियोजन कार्यालय को रिक्तियों के अधिसूचित किए जाने या, यथा स्थिति, भर्ती के विज्ञापन के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए,

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

चरित्र। 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वंय समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगें। नैतिक अधमता के अपराध से सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति। 12. सेवामें किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता 13. (1) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–।।, भाग–।।। के अध्याय–।।। में समाविष्ट नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर बारह सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाये जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जायेगा। प्रसूति के दिनांक से छः सप्ताह पश्चात् स्वस्थता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जायेगा।

भाग 5– भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण। 14. नियुक्ति प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणी के पदों पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय को सूचित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र, उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगाः–

(एक) ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन जारी करके; और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) उप नियम (2) के अधीन रिक्तियाँ अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(4) (एक) चयन के लिए एक लिखित परीक्षा होगी। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (अ) चयन के लिए लिखित परीक्षा 250 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य गणित और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा और मानचित्रकारकर्म का एक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा ।

(आ) लिखित परीक्षा की प्रश्न–बुकलेट परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(इ) लिखित परीक्षा की उत्तर–शीट (Answer-Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी ।

(ई) लिखित परीक्षा के पश्चात्, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer-Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(उ) छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्रत्येक एक वर्ष की सेवा के लिए 05 अंक तथा अधिकतम 15 अंकों का अधिमान दिया जायेगा।

(5) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको और छंटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों को जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

चयन समिति का गठन।

16. सीधी भर्ती हेतु एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। – सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। – सदस्य

(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार, सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। – सदस्य

(पांच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी । – सदस्य

टिप्पणी–यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती में भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जायेगी, जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

फीस

17. चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक, सही उत्तरों का प्रदर्शन एवं प्रकाशन।

18. जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो लिखित परीक्षा के प्रश्नों के सही उत्तर चयनित अभ्यर्थी द्वारा उसमें प्राप्त किये गये अंक के साथ, यथास्थिति, नियम 15 के उपनियम (5) के अधीन प्राप्त अंकों का कुल योग, प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छंटनी शुदा कर्मचारी के अंकों को वर्गीकृत करते हुए) अवरोही क्रम (Descending Order) में उत्तराखण्ड की वैबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण।

19. अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर नियम 15 के अनुसार चयन समिति द्वारा अपनाई गयी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की छाया प्रतियाँ भी दी जायेंगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया।

20. (1) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती, राज्य स्तरीय ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए की जायेगी।

(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्न होंगेः–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष द्वारा नामित वन संरक्षक स्तर के 02 अधिकारी – सदस्यगण

टिप्पणी – उपरोक्त में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जाएगी, जो उचित समझें जाएं।

(4) चयन समिति द्वारा उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जाएगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(5) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

भाग 6– नियुक्ति, परिवीक्षा/स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति।

21. (1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर नियुक्तियां करेगा, जिस क्रम में उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 20 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों।

(2) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से भी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में नियुक्तियां कर सकता है । यदि इस सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों में से नियुक्ति कर सकता है । ऐसी नियुक्ति को नियुक्ति के दिनांक से छः मास के आगे नहीं रखा जायेगा । नियुक्ति प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह इस बीच, यथास्थिति, नियम 15 एंव 20 के अधीन भर्ती कर लें।

परिवीक्षा।

22. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक अवधि बढ़ाई गई है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे;

परन्तु यह ह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हों, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किए गए पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गई हो।

स्थायीकरण। **23.** परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी नियुक्ति में, उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जा सकेगा, यदि:

(अ) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया गया हो;
(आ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित कर दी गई हो; और
(इ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया हो कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता। **24.** (1) सेवा में किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 2002 के अनुसार किया जाएगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जाएगी, जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किए जाते है;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया गया है, तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जाएगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किए जाने का दिनांक माना जाएगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाए;

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किए जाने पर, बिना वैध कारणों से, कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी, जो उनके उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

भाग 7– वेतन इत्यादि

वेतनमान। **25.** (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में लागू वेतनमान **परिशिष्ट "ख"** में दिए गए हैं।

परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन। **26.** (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पूर्व से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि स्वीकार की जाएगी तथा द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(3) ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलापों के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन।

27. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी अन्य संस्तुति, चाहे लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जाएगा किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन।

28. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतमा लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण।

29. जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो तो, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे।

व्यावृत्ति।

30. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनको सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

(एम0एच0खान)
सचिव

परिशिष्टि – "क"

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

क्र0सं0	पदनाम	कुल पदों की संख्या अस्थायी / स्थायी योग
1	प्रधान मानचित्रकार	14
2	मानचित्रकार	41
	योग	55

परिशिष्टि – "ख"

(नियम 25 का उपनियम (2) देखें)

क्र0सं0	पदनाम	वेतन बैंड (₹ में) मान	ग्रेड वेतन (₹ में)
1	प्रधान मानचित्रकार	9300–34800 / –	4200 / –
2	मानचित्रकार	9300–34800 / –	4200 / –